राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

1.एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1378/2008
श्रीमती मनोज व अन्य बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य

2.एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 933/2008
दी ओरिएंटल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
बनाम
श्रीमती मनोज व अन्य

दिनांक – 30.3.2013

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री के.एन.तिवारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण अन्तर्गत अपील सं. 1378/2008.
श्री ऋषिपाल अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी अन्तर्गत अपील सं.933/2008.
श्री एन.सी.जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 अन्तर्गत अपील सं.1378/2008.

अपीलार्थीगण-क्लेमेन्ट्स श्रीमती मनोज व अन्य की ओर से उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 1378/2008 एवं अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 933/2008 अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम संख्या 6, जयपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2007 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है। चूंकि उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों के अन्तर्गत अधिकरण के एक ही निर्णय को चुनौती दी गयी है, जिससे इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण-क्लेमेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व कथन किया कि विद्वान अधिकरण ने विवाघक संख्या 4 का निर्णय सही रुप से नहीं किया है, जिससे मामले को अधिकरण को पुन: निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ वापिस भेजा जावे। उन्होनें इस

न्यायालय का ध्यान विधि दृष्टान्त 2012 ACJ 1428 संतोषदेवी बनाम नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड व अन्य की ओर आकर्षित किया।

इस पर अपील संख्या 933/2008 के अपीलार्थी एवं बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि यदि प्रकरण को अधिकरण को पुन: निर्णय हेतु वापिस भेजा जाता है तो उनके द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले विधि दृष्टान्तों पर भी गौर पर निर्णय पारित करने के निर्देश अधिकरण को दिये जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं अपीलाधीन निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.12.2007 को विवाघक संख्या 4 की सीमा तक अपास्त करते हुए मामला अधिकरण को पुन: निर्णय हेतु भेजा जाकर उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षकारान द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले न्यायिक विनिश्चयों, यदि वे मामले में लागू होते हों तो उनके प्रकाश में विवाघक संख्या 4 के सम्बन्ध में अपना निर्णय सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुन: पारित करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण करे। क्लेमेन्ट्स को पंचाट की सम्पूर्ण राशि या आंशिक राशि प्राप्त हो गयी हो तो अधिकरण के निर्णय तक उनसे उक्त राशि की वसूली नहीं की जावे। पक्षकारान अधिकरण के समक्ष दिनांक 01.7.2013 को उपस्थित हों।

उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। अपील संख्या 933/2008 के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थनापत्र का निस्तारण भी उपरोक्तानुसार किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment /order being E-mailed.

SK Sharma
PS